253

संख्या–/ /XXIV/(1)/2013 -25 /2007 T.C.

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग – 1 (बेसिक) देहरादून : दिनांक 20 जून, 2013

विषय : मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर 01 तथा प्रत्येक जनपद स्तर पर 01 (कुल 14) एम0आई0एस0 समन्वयकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–रा0प0का0/592/MDM-05/2012–13 दिनांक 05–03–2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर 01 तथा प्रत्येक जनपद स्तर पर 01 (कुल 14) एम0आई0एस0 समन्वयकों का वाह्य सेवा प्रदाता ऐजेन्सी से Outsourcing के माध्यम से रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मध्याह्न भोजन योजना के सफल क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ में निम्नलिखित कार्मिकों को वाह्य सेवा प्रदाता ऐजेन्सी से Outsourcing के माध्यम से रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(1) कार्मिकों का विवरण:–

क्र0 सं0	स्तर	पदनाम	कार्मिकों की संख्या	आयु	शैक्षिक योग्यता	अनुभव	प्रतिमाह मानदेय
1	राज्य स्तर	एम0आई0एस0 कोर्डिनेटर	01	21–35 वर्ष	विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन(BCA) की उपाधि।	एम0आई0एस0 के क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव को वरीयता दी जाएगी।	प्रतिमाह रू0 15000/अथवा उपनल की दर जो भी कम हो।
2	जनपद स्तर	एम0आई0एस0 कोर्डिनेटर	13 प्रति जनपद 01	21–35 वर्ष	तदैव	तदैव	तदैव

निर्धारित आयु सीमा में राज्य सरकार के नियमान्तर्गत छूट का प्राविधान होगा।

(2) कार्मिकों की तैनाती/नियुक्ति का स्वरूप:–

उक्त कार्मिकों की तैनाती बाह्य सेवा प्रदाता एजेन्सी से आउटसोर्सिंग के आधार पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के संगत प्राविधानों अथवा उपनल के माध्यम से की

...2..

..

जाएगी। पदों का सृजन एवं कार्यावधि योजना के संचालन तक रहेगी तथा योजना के समाप्त होने पर पद व कार्मिक की सेवाऐं स्वतः ही समाप्त समझे जायेंगे।

(3) <u>कार्मिकों के मानदेय की व्यवस्था :–</u>

उक्त कार्मिकों के मानदेय का भुगतान (समय–समय पर वृद्धि सहित) मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (एम0एम0ई0) मद में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे शत–प्रतिशत केन्द्रांश से किया जाएगा। इस पर राज्य सरकार पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त व्ययभार नहीं पडेगा।

(4) <u>एम0आई0एस0 कार्डिनेटर के कार्य एवं दायित्व :</u>

- मध्याह्न भोजन योजना के सम्बंधित राज्य/जिला/विकासखण्ड स्तर पर आंकडों को Web Portal MIS पर Feed/update करना।
- राज्य स्तर तथा जनपद स्तर पर Web Portal MIS पर उपलब्ध आंकडों का विश्लेषण करना व रिपोर्ट तैयार करना।
- Web Portal MIS से संबंधित बैठकों, कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं प्रतिभाग करना।
- राज्य/जनपद/विकासखण्ड व विद्यालय स्तर पर कार्मिकों को MIS Web Portal से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान करना।
- Web Portal MIS में समयबद्ध रूप से Data Feeding करना तथा स्थिति से उच्च अधिकारियों को अवगत कराना।
- Web Portal MIS से सम्बंधित पत्रावलियों का रखरखाव तथा Web Portal MIS से सम्बन्धित प्राप्त पत्रालेखों पर पत्राचार/कार्यवाही आदि करना।
- समय–समय पर उच्च स्तर से सौंपे गए अन्य कार्य व दायित्वों का निर्देशानुसार निर्वहन करना।

(5) <u>कार्मिकों का मूल्यांकनः–</u>

समस्त कार्मिक प्रदेश स्तर पर पूर्ण रूप से राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान तथा जनपद/विकासखण्ड स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) के नियंत्रणाधीन तथा दिशा–निर्देश में मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित कार्य करेंगे। इनके कार्यो का समय–समय पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाएगा। कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर कार्मिक को कार्य से पृथक कर बाह्य सेवा प्रदाता एजेन्सी को वापस कर दिया जाऐगा।

- कार्मिक की कार्यालय में नियमित उपस्थिति।
- कार्य के प्रति लगन एवं समयबद्धता।
- उच्च अधिकारियों एवं सहकर्मियों के साथ व्यवहार।
- कार्मिक का चरित्र एवं सत्यनिष्ठा।
- कार्य सम्पादन में कुशलता व अन्य योगदान।

कृपया तद्नुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराते हुए तत्काल मध्याह्न भोजन योजना के सफल क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु प्रदेश स्तरीय प्रकोष्ठ तथा जनपद स्तरीय प्रकोष्ठ में उपरोक्त कार्मिक को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली, 2008 में निहित व्यवस्थाओं/दिशा–निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बाह्य सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से तैनात करने की कार्यवाही सम्पन्न करवाएं।

(6) यह आदेश वित विभाग के अशासकीय सं0–31(P)XXVII(3)2013-14 दिनांक 10 जून, 2013 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
सचिव।

...3..

संख्या 457/ XXIV/(1)/2013 -25 /2007 तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3–महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5–समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), उत्तराखण्ड (द्वारा रा०प० कार्यालय)
6–समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से)
7–राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव